न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 118 / 2024

जगमीत सिह पुत्र लखदेव सिंह आयु 39 वर्ष जाति रामगढ़िया (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

बनाम

1. लखदेव सिंह पुत्र गुरबचन सिंह आयु 70 वर्ष जाति रामगढ़िया (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हरविन्द्र सिह पुत्र लखदेव सिंह आयु 32 वर्ष जाति रामगढ़िया (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. श्रीमती रानो पत्नी जगजीत सिंह पुत्री लखदेव सिंह आयु 42 वर्ष जाति रामगढ़िया (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा, मिर्जेवाला हाल निवासरत मानसा रोड़, भठिण्डा, पंजाब
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री चन्द्र कान्त यादव — – प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–26.09.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] पेश किया
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 [illegible] माननीय
जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार [illegible] है कि उक्त [illegible] में होने
न्यायालय में पेश किया जा चुका है और उक्त निर्णय [illegible] भी इस प्रकरण
की पूरी पूरी संभावना है। उक्त प्रकरण के मूल वाद पत्र [illegible] पटवार हल्का
का एक भाग समझा व पढा जावे । ग्राम 9 एफ [illegible]

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

मिर्जेवाला, भू० अभिलेख नि०क्षेत्र मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 35/25 के मुरब्बा नं0 17, 57 में कुल 6.9580 है0 कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीसंख्या 1 लखदेव सिंह के नाम से संयुक्त खातेदारान के नाम से दर्ज है। जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न है। उपरोक्त खाता में अप्रार्थीसंख्या 1 के नाम 2657/6958 हिस्सा यानि 2.657 है0 कृषि भूमि दर्ज है। अप्रार्थीसंख्या 1 प्रार्थी, अप्रार्थीसंख्या 2 व 3 का पिता है। अप्रार्थीसंख्या 1 को उक्त कृषि भूमि अपने पिता गुरबचन सिह पुत्र मेहर सिंह के नाम से विरासतन प्राप्तशुदा है, जिसका नामांतरण संख्या 13 दिनांक 20.04.1972 है। नामांतरण की प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त भूमि पैतृक है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक अप्रार्थीसंख्या 1 को पैतृक प्राप्तशुदा सम्पति है, जिसमें अप्रार्थीसंख्या 1 के वारिसो का विधिवत हक व हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 3 रानो की शादी हो चुकी है, जिस कारण वह अपनी ससुराल में आबाद है। प्रार्थी अपने माता पिता से वर्ष 2015 से अपने परिवार सहित पृथक निवास करता है तथा प्रार्थी के माता पिता हरविन्द्र सिह के साथ निवास करते हैं। पारिवारिक मनमुटाव होने के कारण, प्रार्थी एवं उसके परिवार में कई बार मतभेद हो गया था। वर्ष 2023 में पारिवारिक पंचायते भी हुयी, जिसमें सम्पति का विभाजन भी किया गया और अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकित भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का कब्जा व काश्त प्रार्थी को सुपुर्द कर दी गयी थी, लेकिन प्रार्थी के नाम से उक्त राजस्व अभिलेख में आज भी दर्ज हैं, जिस कारण वह प्रार्थी के हक व हिस्सा को प्रभावित करने के आश्य से लोगो के साथ भूमि बेचान की धमकिया दे रहा है और प्रार्थी के हिस्सा की भूमि का बेचान, रहन अन्य किसी प्रकार से मुंतकिल करने पर आमदा है। इस कारण प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण पेश कर रहा है। प्रार्थी का पैतृक सम्पति में 1/4 हिस्सा अवश्य बनता है और प्रार्थी उसको प्राप्त करने का अधिकारी है और पारिवारिक पंचायत में प्रार्थी को भूमि भी सुपुर्द कर दी थी, लेकिन राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रकबा दर्ज होने के कारण, प्रार्थी को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी अपने हक की 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है तथा हिस्सानुसार में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से प्रार्थी अपने नाम कायम करवाना चाहता है।

"यह कि राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 5 (1) राज–6/97/10 जयपुर दिनाक 08.09.1997" अधिसूचना जारी कर प्रावधान विहित किया गया है कि हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि मे जन्म से ही अधिकार है इसलिये पुत्र अपने पिता के ना[illegible] भूमि में पिता के जीवनकाल में ही इन प्रावधानों के अन्तर्गत भू[illegible]प्त [illegible]धिकारी है।" उक्त प्रावधान के अनुसार ही प्रार्थी अपने पिता की [illegible] 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2019(3) सी जे सिविल पेज नं० 886 में प्रतिपादित किया गया है कि "किसी हिन्दू पुरूष द्वारा अपने पैतृक पुरुष से प्राप्त सम्पतियो उसके स्वयं एवं उसके नीचे की तीन पीढ़ी तक उतरवर्ती पुरुषो की सहदायिकी सम्पति होगी तथा जो कि विभाजन के बाद भी सहदायिकी ही बनी रहेगी।

इसी प्रकार से 2018(2) सी जे सिविल सुप्रीम कोर्ट पेज 559 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी सम्पतिजो पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता अर्थात पिता, दादा आदि के पुरूष वंश की पीढ़ियो से न्यायगत होती है वह पैतृक सम्पति है। इसी प्रकार से 2018 डीएनजे सुप्रीम कोर्ट पेज नं0 826 में भी न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "Concept of Ancestral Property Property inherited by a Hindu from his father, father's father or father's fathers' father, is ancestral property. Any property acquired by the Hindu great grand father, which then passes undivided down the next three generations up to the present generation of great grand son/daughter."

इस प्रकार से उक्त भूमि में प्रार्थी अपने पिता से 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा करवाकर अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है। जिससे वह अधिक लाभ प्राप्त कर सके। प्रार्थी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य इसी कृषि भूमि पर निर्भर करता है यदि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि खुर्द बुर्द कर देता हैं तो प्रार्थी का जीवन बर्बाद हो जावेगा। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का बंटवारा करवाने व अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास शेष नहीं रह गया। प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि पारिवारिक सम्पति बंटवारा के अनुरूप 1/4 हिस्सा प्रत्येक का अपने नाम दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अप्रार्थीसंख्या 1 हर समय टाल–मटोल करता रहा है और 10 रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया । उसी रोज प्रार्थी को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। प्रार्थी प्रतिवादीगण से पृथक अपने परिवार व बच्चो के साथ निवासरत है और अप्राथी संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। यदि अप्रार्थीगण एकराय होकर, उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर देते है तो प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा और प्रार्थी व उसके परिवार को अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा व प्रार्थना पत्र ला पाने का अधिकारी है। कृषि भूमि के संबंध में समस्त कार्यवाही करने हेतु राजस्व न्यायालय को अधिकार हासिल है तथा कृषि भूमि के अभिलेख, [illegible] परिवर्तन/अंकन, खातेदारो राजस्व अभिलेख की देखरेख, [illegible] न्यायालय को की समस्त सुविधाएं इत्यादि के संबंध में अधिकारिकता [illegible] में पेश हासिल है। इस कारण उक्त प्रकरण [illegible] की किया जा रहा है। राईट एवं टाईटल [illegible] कर निवदन बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार, इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण मूल प्रकरण के निस्तारण तक [illegible] 9 एफ बडा

अधिकारी (राजस्व)
नगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पटवार हल्का मिर्जेवाला, भू० अभिलेख नि०क्षेत्र मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 35/25 के मुरब्बा नं0 17, 57 में कुल 6.9580 है 0 कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 लखदेव सिंह के नाम दर्ज 2657/6958 हिस्सा भूमि के संबंध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं किसी प्रकार से उक्त भूमि में हस्तक्षेप न करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी जगमीत सिंह के द्वारा श्रीमान न्यायालय में उक्त अनवान का प्रकरण पेश किया हुआ है। जिसमें प्रार्थी जगमीत सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी जगमीत सिंह के पक्ष में होने की कोई भी सम्भावना नही है। प्रार्थी जगमीत सिंह के द्वारा उक्त अनवान प्रकरण बिल्कुल बेबुनियाद व निराधार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जो कि राजस्व रिकार्ड से संबंधित है जिसे प्रार्थी जगमीत सिंह के द्वारा साबित किया जाना है प्रार्थी जगमीत सिंह व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के रिश्ते से कोई इन्कारी नही है । विरासतन इंतकाल दर्ज हुआ है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 को साबित किये जाने का भार प्रार्थी जगमीत सिंह पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में यह लेख है कि अप्रार्थी संख्या 3 के बारे में जानकारी अप्रार्थी संख्या 3 ही दे सकती है। बाकी तथ्य में अप्रार्थी लखदेव सिंह का यह जवाब है कि प्रार्थी जगमीत सिंह जो कि शादीशुदा है, शादी के पश्चात् प्रार्थी जगमीत सिंह जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी सोहन कौर के साथ आये दिन तंग परेशान करता था तथा आये दिन अप्रार्थी लखदेव सिंह व उसकी पत्नी सोहन लडाई झगडा करने के कारण अप्रार्थी लखदेव सिंह ने प्रार्थी जगमीत सिंह को बेदखल कर दिया था। बाकी तथ्य के बारे में यह लेख है कि प्रार्थी जगमीत सिंह के दादा गुरबचन सिंह के द्वारा अपने जीवन काल के दौरान एक वसीयत गांव 9 एफ बडा की कृषि भूमि में मुरब्बा नं. 17 व 57 में कुल 6 बीघा की वसीयत की थी। बाकी तथ्य जिस प्रकार से दर्ज करवाये गये है उसमें किसी भी प्रकार सच्चाई ना होने के कारण स्वीकार नही है। प्रार्थी जगमीत सिह ने बेवजह ही यह प्रकरण अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिये श्रीमान जी के समक्ष पेश कर रखा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में यह लेख है कि प्रार्थी जगमीत सिंह के दादा गुरबचन सिंह के जरिये वसीयत के 6 बीघा कृषि भूमि है जिसे प्रार्थी जगमीत सिंह ने ले रखी है और अपनी काश्त कर रहा है। इसके अलावा प्रार्थी जगमीत सिंह अप्रार्थी संख्या 1 से किसी भी प्रकार की कोई भूमि 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसके चलते प्रार्थी जगमीत सिंह को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आ रही बल्कि उसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ जो [illegible] किया हुआ है वह तंग व परेशान के लिये किया गया है। मद के वाकी तथ्य प्रार्थी [illegible] की जिस तरह से दर्ज किये गये है वह [illegible] प्रार्थी [illegible] मद संख्या 8 में यह लेख है कि जिस [illegible] प्रार्थी में दिया है उसे साबित करने का भार प्रार्थी [illegible] जगमीत सिंह को उसके वादा गुरबचन सिंह के जरिये 6 बीघा कृषि भूमि आती है ओर वह भूमि उसे मिल चुकी हैं और उस पर ही व[illegible]श्त करता है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार के बाकी सदस्यो में से प्रार्थी जगमीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सिंह का 1/4 हिस्सा कतई नहीं बनता। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जो कि कानूनी है। अन्य तथ्य में यह अंकित है कि प्रार्थी जगमीत सिंह के द्वारा अपने दादा गुरबचन सिंह के जरिये 6 बीघा कृषि भूमि प्राप्त की हुई है इसके अलावा प्रार्थी जगमीत सिंह का अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा में आई कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा का कोई भी हक नही बनता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में यह लेख है कि प्रार्थी जगमीत सिंह के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान करने के लिये तथा निराधार व बेबुनियाद यह प्रकरण प्रस्तुत कर रखा है प्रार्थी जगमीत सिंह 6 बीघा कृषि भूमि पर काश्त कर रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 में उल्लेखित तथ्य में कोई सच्चाई नही है इसलिये सच्चाई ना होने के कारण तथा अपना वाद प्रस्तुत करने के लिये मनगढत तथ्य बनाये गये है जो कि स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 12 में लेख है कि प्रार्थी जगमीत सिंह के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को तंग परेशान किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी जगमीत सिंह को घर से बेदखल कर दिया था। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कृषि भूमि दर्ज है। बाकी तथ्य निराधार व बेबुनियाद है अपने प्रार्थना पत्र को बनाने के लिये बेवजह दर्ज करवाये है ताकि श्रीमान जी की अदालत से प्रार्थना पत्र को चलाने का आधार मिल सके। प्रार्थी जगमीत सिंह को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नही हो रहा। प्रार्थी जगमीत सिंह के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 13 में यह लेख है कि प्राथी जगमीत सिंह को किसी भी तरह का कोई भी अधिकार हासिल नही है तथा क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर श्रीमान न्यायालय के द्वारा तय किया जाना है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर टी ए का सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थी जगमीत सिंह को किसी भी हक से उक्त कृषि भूमि में स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थी जगमीत सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई आधार नही है और ना ही प्रार्थना पत्र में समस्त अंकित तथ्य में कोई सच्चाई है।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के सम्मन पर विधिवत तामील होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 बिना बंटवारा के मुन्तकिल कर अनुचित लाभ कमाने की फिराक में है। अतः प्रकरण में अन्तरिम स्थगन को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। [illegible] द्वारा वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए प्रकरण में [illegible] दिये जाने का निवेदन कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. [illegible] जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तत जमाबंदी के अवलोकन से प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 पिता–पुत्र हैं। प्रार्थी द्वारा अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवाद पारिवारिक सदस्यों के मध्य है। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए एवं सम्पत्ति की संरक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21.10.2024 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 123/2024 बअनवान जगमीत सिंह बनाम लखदेव सिंह रहे।

आदेश आज दिंनाक 26.09.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner